



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/487

10.09.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53 में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 22/2025 दिनांक 09 सितंबर 2025

आपको सूचित किया जाता है कि डीजीएफटी कार्यालय ने प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53 में एक नया उप-पैराग्राफ 4.53(ई) जोड़कर संशोधन के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

नये पैरा 4.53 (ई) के अनुसार:

"अप्रयुक्त और हस्तांतरित न किए गए डीएफआईए में ऐसे संशोधनों के लिए आवेदन, जो प्रणाली-संबंधी और सुधारात्मक प्रकृति के हों, एएनएफ 4जी में दायर किए जाएंगे। ऐसे किसी भी संशोधन के लिए कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति आवश्यक होगी।"

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : व्यापार में आसानी के लिए डीएफआईए में कुछ संशोधनों की अनुमति दी गई है।

नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं:

- क) माप की इकाई में सुधार
- ख) आयातित वस्तु के आईटीसी एचएस कोड में सुधार
- ग) आयातित वस्तु के मूल्य में सुधार

कृपया अपने संदर्भ के लिए नीचे सार्वजनिक सूचना का लिंक देखें।

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20250910024709.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल